महत्वपूर्ण / गो सेवा
संख्या–290 / सैतीस–2–2023–5(1) / 2023

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश।

2– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 01 फरवरी, 2023

विषयः–प्रदेश में निराश्रित गोवंशो के संरक्षण एवं भरण–पोषण के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बिन्दु

महोदय,

आप अवगत है कि निराश्रित गोवंश का शत–प्रतिशत संरक्षण एवं उनका भरण–पोषण वर्तमान सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में है। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–2264 / सैतीस–2–2022, दिनांक 07.11.2022 एवं शासनादेश संख्या–05 / सैतीस–2–2023–5(53) / 18–टी0सी0–2, दिनांक 04.01.2023 द्वारा आवश्यक निर्देश निर्गत किये गये हैं। मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या–1 / 261484 / 2023, दिनांक 13.01.2023 द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अवशेष निराश्रित गोवंश को दिनांक 31.03.2023 तक शत–प्रतिशत संरक्षित किये जाने तथा जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के आदेश निर्गत किये गये है।

2– उक्त के क्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्न बिन्दु पर कार्यवाही प्राथमिकता पर किये जाने का निर्णय लिया गया है:–

(1) मुख्यमंत्री सहभागिता योजना का आच्छादन अधिकाधिक किया जाय, तथा इच्छुक पशुपालकों को गोवंश उपलब्ध कराने में तेजी लायी जाय। जिलाधिकारी के त्रैमासिक रोस्टर के अनुसार फील्ड में समय से निरीक्षण / सत्यापन कराया जाय। गो पालको की मांग लम्बित न रहें तथा नियमित रूप से डी0बी0टी0 के माध्यम से समयबद्ध भुगतान कराया जाय एवं अबतक भुगतान न होने के सम्बन्ध में सम्बन्धित का उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जाय।

(2) मुख्यमंत्री पोषण योजना के अर्न्तगत महिला एवं बाल–विकास विभाग द्वारा चिन्हित कुपोषित परिवारों को ब्यायी हुई गाय उपलब्ध करायी जाय, जिससे सुपोषण हेतु उन परिवारों को दूध उपलब्ध हो सके, इस योजना को जिलाधिकारी सहित प्रत्येक स्तर पर समीक्षा की जाय।

(3) कृत्रिम गर्भाधान योजना द्वारा नस्ल सुधार हेतु व्यापक रूप से पशुओं का आच्छादन किया जाय, तथा नस्ल सुधार के प्रचलित मिशन 75 लाख टीकाकरण अभियान सेक्स सार्टेड सीमेन के आच्छादन एवं इनाफ पोर्टल पर अपलोड करने की भी समीक्षा की जाय।

(4) गो संरक्षण केन्द्रों में गोबर से पेन्ट, सी0बी0जी0 के उत्पाद के साथ इन्हें प्राकृतिक कृषि से जोड़ा जाय।

(5) गो–आश्रय स्थल निर्माण एवं संचालन हेतु इच्छुक गैर–सरकारी संस्थाएँ एवं अन्य संगठनों के साथ एम0ओ0यू0 किया जाय। इन संस्थाओं को गो संरक्षण केन्द्र संचालित करने हेतु लीज पर नियमानुसार भूमि उपलब्ध कराने पर विचार किया जा सकता है।

(6) निराश्रित गोवंश को संरक्षित करने एवं परिवहन हेतु कैटिल–कैचर का क्रय तत्काल किया जाय। निराश्रित गोवंश को गो–संरक्षण स्थलों में संरक्षित किये जाने की व्यवस्था में तेजी लाया जाना सुनिश्चित किया जाय एवं अवशेष स्थलों का निर्माण अविलम्ब पूर्ण कराया जाय।

(7) जनपद में स्थापित/संचालित गो आश्रय स्थलों/केन्द्रों की क्षमता एवं उनमें संरक्षित गोवंश का औचक निरीक्षण किया जाय एवं क्षमता के अनुरूप ही गोवंशों का संरक्षण किया जाय। विद्यमान गो आश्रय स्थलों के विस्तारीकरण का भी मौके पर सत्यापन कराया जाय, जिससे रायबरेली जनपद जैसी overcrowding की समस्या न हो।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी अपने स्तर पर शीर्ष समीक्षा बैठक आहूत कर ले एवं कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(डा० रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

पo सं०–290(1)/सैंतीस–2–2023–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र० शासन।
2. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, पशुधन विभाग, उ०प्र०।
3. प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
4. विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
5. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।